

केंद्रीय निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक की 15 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में आयोजित पाँच सौ बयासीवीं (582वीं) बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित

गवर्नर

शक्तिकान्त दास : अध्यक्ष

उप गवर्नर

बी. पी. कानूनगो एम. के. जैन

एम. डी. पात्र

निदेशक

अतनु चक्रवर्ती
भरत एन. दोशी
मनीष सभरवाल
दिलीप एस. शंघवी
एस. गुरूमूर्ति
सचिन चतुर्वेदी

उपस्थित आमंत्रित – कार्यपालक निदेशक

दीपक मोहंती	एम. राजेश्वर राव
मालविका सिन्हा	एस. गणेश कुमार
लिलि वडेरा	रबि एन. मिश्र
नन्दा एस. दवे	अनिल के. शर्मा
एस. सी. मुर्मू	टी .रबी शंकर

जनक राज सुधा बालकृष्णन

उपस्थित सुशोभन सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव अविरल जैन, मुख्य महाप्रबंधक



केंद्रीय निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक की 15 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में आयोजित पाँच सौ बयासीवीं (582वीं) बैठक का कार्यवृत्त

कार्यसूची पर चर्चा शुरू करने से पूर्व, गवर्नर ने बोर्ड को सूचित किया कि तीन निदेशकों, श्री एन. चंद्रसेकरन, श्री भरत दोशी और श्री सुधीर मांकड का वर्तमान कार्यकाल 3 मार्च 2020 को और श्री बी. पी. कानूनगो का वर्तमान कार्यकाल 2 अप्रैल 2020 को समाप्त हो जाएगा। उन्होंन यह भी कहा कि श्री राजीव कुमार, वित्त सचिव और सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग 28 फरवरी 2020 को अधिवर्ष हो जाएंगे। साथ ही, बोर्ड को 28 फरवरी 2020 को कार्यपालक निदेशकों: श्रीमती मालविका सिन्हा और श्री एस. गणेश कुमार की अधिवर्षिता के बारे में भी सूचित किया गया। बोर्ड ने उनके द्वारा प्रदान किए गए योगदान के प्रति अपनी सराहना को अभिलिखित किया।

1.2 बोर्ड को यह भी सूचित किया गया कि यह श्री सुशोभन सिन्हा, मुमप्र एवं सचिव की अंतिम बोर्ड बैठक होगी क्योंकि वे नए उत्तरदायित्व ग्रहण करने जा रहे हैं। श्री अविरल जैन, मुमप्र बोर्ड के नए सचिव होंगे।

- 2. (i) बैठक की कार्यसूची अनुलग्नक I में दी गई है।
 - (ii) बैठक के कार्रवाई बिंदु अनुलग्नक II में दिए गए हैं।
- केंद्रीय बोर्ड की 29 जनवरी 2020 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

3.1 केंद्रीय बोर्ड की 29 जनवरी 2020 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त जिसे केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया और उसी दिन अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, को अभिलिखित किया गया।

4. निदेशकों को अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करना

4.1 बोर्ड ने श्री एन. एस. विश्वनाथन, उप गवर्नर और श्री अशोक गुलाटी, केंद्रीय बोर्ड निदेशक से प्राप्त अनुपस्थित रहने की अनुमति के अनुरोध पर विचार किया और

संकल्प पारित किया गया

कि श्री एन. एस. विश्वनाथन, उप गवर्नर और श्री अशोक गुलाटी, केंद्रीय बोर्ड निदेशक को केंद्रीय बोर्ड की 15 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए और उन्हें इसके द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

5. केंद्रीय बोर्ड समिति की बैठकों के कार्य विवरण प्रस्तुत करना

5.1 निदेशकों के बीच पहले से परिचालित, केंद्रीय बोर्ड समिति की 4 दिसंबर 2019 और 29 जनवरी 2020 के बीच आयोजित बैठकों के कार्य विवरण केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किए गए।



6. दिनांक 7 फरवरी 2020 को समाप्त सप्ताह से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक का साप्ताहिक कार्य विवरण

6.1 दिनांक 7 फरवरी 2020 को समाप्त सप्ताह से संबंधित बैंक का साप्ताहिक लेखा केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।

6.2 अध्यक्ष ने लेखा हस्ताक्षरित किया।

7. साप्ताहिक वित्तीय एवं वाणिज्यिक रिपोर्ट (डब्ल्यूएफसीआर)

7.1 बोर्ड ने साप्ताहिक वित्तीय एवं वाणिज्यिक रिपोर्ट (डब्ल्यूएफसीआर) में सप्ताह के दौरान दर्शाए गए समष्टि आर्थिक गतिविधियों और मुद्रा बाजार की स्थिति की समीक्षा की और उनपर चर्चा की। उक्त चर्चा मुख्य रूप से क्रेडिट और चलनिधि की स्थिति, आटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित मुद्दों, क्षेत्रीय स्थिति विशेष रूप से उत्तर-पूर्व में, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के संभावित प्रभाव पर केंद्रित थी।

8. तुलन-पत्र के देयता खंड की प्रस्तुति में परिवर्तन और आरबीआई के वित्तीय वर्ष को सरकार के राजकोषीय वर्ष के अनुरूप करना

8.1 बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. विमल जालान) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार तुलन- पत्र के देयता खंड की प्रस्तुति में परिवर्तन और आरबीआई के वित्तीय वर्ष को सरकार के राजकोषीय वर्ष के अनुरूप करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया।

8.2 बोर्ड ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि निम्नलिखित प्रस्ताव इसके द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं:

 धारा 53 (1) के अनुसार गजट अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करना
प्रस्तुति में परिवर्तन करना:

 निम्नलिखित को संशोधित करने के लिए आरबीआई की धारा 58 (1) में दिए गए अनुसार पूर्व स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करना:

(क) बैंक की बहियों को बंद किए जाने की तिथि में परिवर्तन करने के लिए आरबीआई सामान्य विनियमावली 1949 के विनियम 22।

(ख) आरबीआई सामान्य विनियमावली 1949 के विनियम 22 (ए) और (बी): आरबीआई सामान्य विनियमावली 1949 के विनियम 22 (ए) और (बी) में निर्धारित तुलन-पत्र और आय विवरण के प्रपत्र में वित्तीय विवरणों को तैयार करने की तिथि को परिवर्तितकर '30 जून..... की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र' से '31 मार्च की



स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र' और '30 जून ... को समाप्त वर्ष का आय विवरण' से '31 मार्च ... को समाप्त वर्ष का आय विवरण' करने के लिए।

(ग) तुलन-पत्र के फॉर्मेट को परिवर्तित करने के लिए आरबीआई सामान्य विनियमावली 1949 के विनियम 22 (ए)।

यह भी संकल्प पारित किया गया

कि आरबीआई अधिनियम की धारा 58 (1) के तहत दिए गए अनुसार केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने और धारा 58 (1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने पर, आरबीआई अधिनियम की धारा 58 (4) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन हेतु संशोधित विनियम की एक प्रति केंद्र सरकार को अग्रेषित की जानी चाहिए।

बोर्ड ने नोट किया कि आरबीआई के वित्तीय वर्ष को सरकार के राजकोषीय वर्ष के अनुरूप करने के लिए परिवर्तन (ट्रांजीशन) का प्रथम वर्ष नौ महीने का अर्थात् जुलाई 2020 से मार्च 2021 होगा।



10. जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) की गतिविधियों पर रिपोर्ट

10.1 बोर्ड ने जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) की गतिविधियों संबंधी रिपोर्ट पर विचार किया।

10.2 बोर्ड ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) की गतिविधियों संबंधी रिपोर्ट को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।



11. जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग की गतिविधियों पर रिपोर्ट

11.1 बोर्ड ने जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग की गतिविधियों संबंधी रिपोर्ट पर विचार किया।

11.2 बोर्ड ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग की गतिविधियों संबंधी रिपोर्ट को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।

12. स्थानीय बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) की 18-19 नवंबर 2019 को आइजोल में आयोजित बैठक का कार्य विवरण

12.1 स्थानीय बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) की 18-19 नवंबर 2019 को आइजोल में आयोजित बैठक के कार्य विवरण केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किए गए।

12.2 बोर्ड ने उसपर विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि स्थानीय बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) की 18-19 नवंबर 2019 को आइजोल में आयोजित बैठक के कार्य विवरण को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।

13. दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की 18 अक्तूबर 2019 को हैदराबाद में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

13.1 दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की 18 अक्तूबर 2019 को हैदराबाद में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किए गए।

13.2 बोर्ड ने उसपर विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की 18 अक्तूबर 2019 को हैदराबाद में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।





15. केंद्रीय बोर्ड की आगामी बैठक की तारीख और स्थान – 28 अप्रैल 2020 को बेंगलुरु में

संकल्प पारित किया गया कि केंद्रीय बोर्ड की आगामी बैठक 28 अप्रैल 2020 को बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी।

16. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय

सूचना मद

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता (क्रेडिट फ्लो) का विश्लेषण इसे अभिलिखित किया गया।

दिनांक: 26 जून 2020

अध्यक्ष



अनुलग्नक ।

केंद्रीय बोर्ड की 582वीं बैठक : शनिवार, 15 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में – कार्यसूची

蛃.	मद	उद्देश्य	विभाग
1.	केंद्रीय बोर्ड की को 2020 जनवरी 29 आयोजित बैठक का कार्यवृत्त	अभिलेखन	सचिव
2.	निदेशकों को अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करना	अनुमोदन	सचिव
3.	केंद्रीय बोर्ड समिति की बैठकों के कार्य विवरण प्रस्तुत करना	अभिलेखन	सचिव
4.	दिनांक 7 फरवरी 2020 को समाप्त सप्ताह से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक का साप्ताहिक कार्य विवरण	अनुमोदन	डीजीबीए
5.	साप्ताहिक वित्तीय एवं वाणिज्यिक रिपोर्ट (डब्ल्यूएफसीआर)	अभिलेखन	डीईपीआर
6.	तुलनपत्र के देयता खंड की प्रस्तुति में परिवर्तन और आरबीआई - के वित्तीय वर्ष को सरकार के राजकोषीय वर्ष के अनुरूप करना	अनुमोदन	डीजीबीए
8.	जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए डीईआईओ की गतिविधियों पर रिपोर्ट	अभिलेखन	डीईआईओ
9.	जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए डीएसआईएम की गतिविधियों पर रिपोर्ट	अभिलेखन	डीएसआईएम
10.	स्थानीय बोर्ड 18 की (पूर्वी क्षेत्र)-को आइजोल 2019 नवंबर 19 में आयोजित बैठक का कार्य विवरण	अभिलेखन	सचिव
11.	दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की 18 अक्तूबर 2019 को हैदराबाद में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त	अभिलेखन	सचिव
13.	केंद्रीय बोर्ड की आगामी बैठक की तारीख और स्थान – 28 अप्रैल 2020 को बेंगलुरु में	सूचनार्थ	सचिव
14.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय	सूचनार्थ	सचिव
<u>नूचना</u>	मद		
(i)	एमएसएमई क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता (क्रेडिट फ्लो) का विश्लेषण	सूचनार्थ	एफआईडीडी



अनुलग्नक ॥

केंद्रीय बोर्ड की 582वीं बैठक : शनिवार, 15 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में

कार्रवाई बिंदु







Minutes of the Five Hundred and Eighty Second (582nd) Meeting of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India held on February 15, 2020 at New Delhi

PRESENT

Governor

Shaktikanta Das: Chairman

Deputy Governors

B. P. Kanungo M. K. Jain

M. D. Patra

Directors

Rajiv Kumar Atanu Chakraborty N. Chandrasekaran Bharat N. Doshi Sudhir Mankad Manish Sabharwal Prasanna K. Mohanty Dilip S. Shanghvi Satish K. Marathe S. Gurumurthy Revathy Iyer Sachin Chaturvedi

Present by Invitation - Executive Directors

Deepak Mohanty M. Rajeshwar Rao Malvika Sinha S. Ganesh Kumar Lily Vadera Rabi N. Mishra Nanda S. Dave Anil K. Sharma S. C. Murmu T. Rabi Sankar Janak Raj Sudha Balakrishnan

In Attendance

Susobhan Sinha, Chief General Manager & Secretary Aviral Jain, Chief General Manager



Five Hundred and Eighty Second (582nd) Meeting of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India held on February 15, 2020 at New Delhi

Before taking up the Agenda, Governor apprised the Board that the present terms of three Directors, Shri N. Chandrasekaran, Shri Bharat Doshi and Shri Sudhir Mankad would come to an end on March 3, 2020 and that of Shri B.P. Kanungo on April 2, 2020. He also stated that Shri Rajiv Kumar, Finance Secretary and Secretary, DFS will be superannuating on February 28, 2020. Further, the Board was apprised about the superannuation of Executive Directors: Smt. Malvika Sinha and Shri S. Ganesh Kumar on February 28, 2020. The Board placed on record their appreciation of the contributions made by them.

1.2 The Board was also informed that this will be the last Board meeting of Shri Susobhan Sinha, CGM and Secretary as he will be moving on to newer responsibilities. Shri Aviral Jain, CGM will be the new Secretary to the Board.

- 2. (i) The agenda of the meeting is at Annex I.
 - (ii) Action points that emerged from the meeting are at Annex II.

3. Minutes of the meeting of the Central Board held on January 29, 2020.

3.1 The minutes of the meeting of the Central Board held on January 29, 2020 which were approved by the Central Board and signed by the Chairman on the same day were recorded.

4. Grant of leave of absence to Directors

4.1 The Board considered the requests for leave of absence from Shri N.S. Vishwanathan, Deputy Governor and Dr. Ashok Gulati, Central Board Director and

Resolved

that leave of absence from the meeting of the Central Board held on February 15, 2020 at New Delhi be, and is hereby, granted to Shri N.S. Vishwananthan, Deputy Governor and Dr. Ashok Gulati, Central Board Director.



5. Submission of proceedings of the meetings of the Committee of the Central Board

5.1 Proceedings of the meetings of the Committee of the Central Board held between December 4, 2019 and January 29, 2020, already circulated among the Directors, were submitted to the Central Board.

6. Weekly Statement of Affairs of Reserve Bank of India for the week ended February 7, 2020

6.1 The weekly accounts of the Bank for the week ended February 7, 2020, were submitted to the Central Board.

6.2 The Chairman signed the accounts.

7. Weekly Financial and Commercial Report (WFCR)

7.1 The Board reviewed and discussed the macroeconomic developments and the state of the money market during the week as reflected in the Weekly Financial and Commercial Report (WFCR). The discussions primarily focused on credit and liquidity situation, issues related to the automobile sector, regional situation particularly in the North-East, and the likely impact of COVID-19 on the Indian economy.

8. Change in presentation of liability side of Balance Sheet and aligning RBI's financial year with Government's fiscal year

8.1 The Board considered the proposals on changes in presentation of liability side of Balance Sheet and aligning RBI's financial year with the Government's fiscal year as recommended by the Expert Committee to Review the Extant Economic Capital Framework of the Reserve Bank of India (Chairman: Dr. Bimal Jalan).

8.2 The Board passed the following resolution:

Resolved

that the following proposals are hereby approved:



- to approach Central Government for issuance of Gazette Notification in terms of Section 53(1) i.e. changing the presentation of the liability side of WSA
- to approach Central Government for prior sanction as contemplated in section 58(1) of RBI Act for amending the following:

(a) Regulation 22 of RBI General Regulations 1949 for changing the date on which books of the Bank are to be closed.

(b) Regulations 22(a) and (b) of RBI General Regulations 1949: for changing the date of preparation of Financial Statements in the form of Balance Sheet and Income Statement prescribed in Regulation 22(a) and (b) of RBI General Regulation 1949 from 'Balance Sheet as on 30th June..' to 'Balance Sheet as on 31st March..' and from 'Income Statement For The Year Ended 30th June...' to 'Income Statement For The Year Ended 31st March...'

(c) Regulations 22(a) of RBI General Regulations 1949 for changing the format of Balance Sheet.

Resolved further

that once the previous sanction of Central Government as contemplated under section 58(1) of RBI Act is obtained and process under section 58(1) is completed, a copy of the amended Regulation should be forwarded to the Central Government for following the procedure prescribed under section 58(4) of the RBI Act.

The Board noted that the first year of transition for aligning RBI's financial year with the Government's fiscal year will be of nine months viz. July 2020 to March 2021.





10. Report on the activities of the Department of External Investments and Operations (DEIO) for the period January 2019 to December 2019

10.1 The Board considered the report on the activities of the Department of External Investments and Operations (DEIO) for the period January 2019 to December 2019.

10.2 The Board passed the following resolution:

Resolved

that the report on the activities of the Department of External Investments and Operations (DEIO) for the period January 2019 to December 2019 be, and is hereby recorded.

11. Report on the activities of the Department of Statistics and Information Management for the period January 2019 to December 2019

11.1 The Board considered the report on the activities of the Department of Statistics and Information Management for the period January 2019 to December 2019.



11.2 The Board passed the following resolution:

Resolved

that the report on the activities of the Department of Statistics and Information Management for the period January 2019 to December 2019 be, and is hereby recorded.

12. Proceedings of the meeting of the Local Board (EA) held on November 18-19, 2019 at Aizawl

12.1 The proceedings of the meeting of the Local Board (EA) held on November 18-19, 2019 at Aizawl were submitted to the Central Board.

12.2 The Board considered the same and passed the following resolution:

Resolved

that the proceedings of the meeting of the Local Board (EA) held on November 18-19, 2019 at Aizawl be, and are hereby recorded.

13. Minutes of the meeting of Standing Committee of Central Board for Southern region held on October 18, 2019 at Hyderabad

13.1 The minutes of the meeting of Standing Committee of Central Board for Southern region held on October 18, 2019 at Hyderabad were submitted to the Central Board.

13.2 The Board considered the same and passed the following resolution:

Resolved

that the minutes of the meeting of Standing Committee of Central Board for Southern region held on October 18, 2019 at Hyderabad be, and are hereby recorded.





15. Date and place of next Central Board Meeting - April 28, 2020 at Bengaluru

Resolved

that the next meeting of the Central Board will be held on April 28, 2020 at Bengaluru.

16. Any other business with the permission of the Chair

Information item

(i) Analysis of credit flow to MSME Sector

Recorded.

Dated: June 26, 2020

Chairman



Annex I

582nd Central Board Meeting: Saturday, February 15, 2020 at New Delhi - Agenda

SI. No.	Items	Purpose	Department
1.	Minutes of the meeting of the Central Board held on January 29, 2020.	Recording	Secretary's
2.	Grant of leave of absence to Directors	Approval	Secretary's
3.	Submission of Proceedings of the meetings of the Committee of the Central Board	Recording	Secretary's
4.	Weekly Statement of Affairs of Reserve Bank of India for the week ended February 7, 2020	Approval	DGBA
5.	Weekly Financial and Commercial Report (WFCR)	Recording	DEPR
6.	Change in presentation of liability side of Balance Sheet and aligning RBI's financial year with Government's fiscal year	Approval	DGBA
8.	Report on Activities of DEIO for the period January	Recording	DEIO
	2019 to December 2019	Recording	DEIO
9.	Report on Activities of DSIM for the period January 2019 to December 2019	Recording	DSIM
10.	Proceedings of the meeting of the local board (EA) held on November 18-19, 2019 at Aizawl	Recording	Secretary's
11.	Minutes of the meeting of Standing committee of Central Board for Southern Region held on October 18, 2019 at Hyderabad	Recording	Secretary's
13.	Date and place of next Central Board Meeting – April 28, 2020 at Bengaluru	Information	Secretary's
14.	Any other business with the permission of the Chair	Information	Secretary's
nforr	nation Item	-	
(i)	Analysis of credit flow to MSME Sector	Information	FIDD



Annex II

582nd Central Board Meeting: Saturday, February 15, 2020 at New Delhi

Action Points



